न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 127 / 2016 (उदयपुर डिक्री)

1. मांगीया पिता सेरिया जी भील, निवासी मोहनपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. जालमा पिता स्वर्गीय धुलिया जी भील, निवासी मोहनपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती मांगीबाई पुत्री स्वर्गीय धुलिया जी भील, निवासी मोहनपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. कमल पिता धन्ना जी भील, निवासी मोहनपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती अम्बावी पुत्री धन्ना जी भील, निवासी मोहनपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
6. डाली पुत्री धन्ना जी भील, निवासी मोहनपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
7. लोगर पिता गणेश जी भील, निवासी मोहनपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. यशवन्त पिता रतनलाल जी भील, निवासी आयड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. वक्ता पिता देवा जी भील, निवासी हिरण मगरी, उदयपुर (राज.)
3. हीरालाल पिता स्वर्गीय धुलिया जी भील, निवासी मोहनपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती छगनी उर्फ भमरी पत्नी धन्ना जी भील, निवासी मोहनपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), गिर्वा जिला उदयपुर
दिनांक 27.09.2016 प्र.सं. 38/2015

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री भीमराज पटेल अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री हनुमान शर्मा अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 1, 2
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभि.रे.सं. 5

———:::———

निर्णय दिनांक 14–02–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोहनपुरा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 17 रकबा 1.27 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादी संख्या 1 का 2025/5080 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 28/508 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 मांगिया का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 8 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 लोगर का 47/1016 वां हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर इसी अनुसार आधिपत्य है। पूर्व खातेदार धूलिया की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी जगह उसका पुत्र जालमा, हीरालाल पुत्री मांगीबाई एवं उसके एक अन्य पुत्र धन्ना जिसकी मृत्यु हो चुकी है के वारिस भंवरी, कमल, अम्बावी व डाली हैं एवं धुलिया की एक पुत्री छगनीबाई का स्वर्गवास हो चुका है। क्योंकि धूलिया की मृत्यु पश्चात उसके वारिसों के नाम नामान्तरकरण नहीं खुला ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 2 से 8 उसके कानूनी वारिस होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं होने से असुविधा होती है। अतएवं विभाजन किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौके पर वादीगण की कोई कब्जा काश्त नहीं है, क्योंकि वादीगण ने मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कराये

बिना बेनामी विक्रय से अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाया है, जबकि मौके पर विक्रेता से कब्जा प्राप्त नहीं किया है। मौके पर कुलिया आराजियात पर कब्जा प्रतिवादीगण का है। अतएवं विभाजन का वाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5, 6, 7 व 8 की ओर से भी खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत हुआ जिसमें निवेदन किया कि क्रेता वादीगण का कब्जा नहीं है तथा उन्हें कोई कब्जा हस्तान्तरित नहीं हुआ है। उनके द्वारा क्रम नुमाईशी किया गया है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकियात की जाकर अपने निर्णय दिनांक 19–05–2016 से वादीगण का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया तथा तहसीलदार बड़गांव से विभाजन प्रस्ताव तलब किया।

उक्त विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया कि मौके पर आराजी नंबर 1888, 1890, 1879, 1881, 1882 सम्पूर्ण तथा 1880 में आया हिस्से पर प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है व वर्तमान में मक्की की फसल बो रखी है। पटवारी ने प्रतिवादीगण के हिस्से की उक्त आराजियात को वादीगण के हिस्से में रख दी है, जबकि वादीगण को उक्त आराजियात का कब्जा नहीं दिया गया है न ही पूर्व खातेदार का उक्त आराजियात पर कभी कब्जा रहा है। पटवारी द्वारा बंटवाड़ा रिपोर्ट बनाने की कोई सूचना प्रतिवादीगण को नहीं दी गयी है न ही बंटवाड़ा रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर ही कराये हैं। अतएवं पक्षकारों की उपस्थिति में पुनः बंटवाड़ा रिपोर्ट बनायी जावे।

प्रतिवादीगण के उपरोक्त आपत्ति का वादीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त आपत्ति का दिनांक 27–09–2016 को निस्तारण करते हुए अंकित किया कि ''तहसीलदार बंटवाड़ा रिपोर्ट तैयार करते समय सूचित किया गया। प्रतिवादीगणों के हस्ताक्षर भी हैं। वादी ने आपत्ति का जवाब भी दिया है। वादी ने दर्शाया कि जो भूमि वादी को दी गयी वह पहाड़ है। बंटवाड़ा रिपोर्ट से न्यायालय सहमत है। वादी खातेदार काश्तकार है वह अपनी भूमि का बंटवाड़ा कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने केवल प्रकरण को लम्बा करने की नियत से ही आपत्ति की है। आपत्ति इसी स्टेज पर खारिज की जाती है।''

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त दिनांक 27–09–2016 को प्रतिवादीगण की आपत्ति खारिज करते हुए प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–11–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री हनुमान शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्टगण द्वारा आपत्ति दर्ज करायी गयी थी कि पटवारी द्वारा अपीलान्टगण के हिस्से व कब्जे की भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के हिस्से में रख दी है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को भी नजर अंदाज किया गया है कि सभी सहखातेदारों का उनके हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करना था, लेकिन अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 का हिस्से अनुसार बंटवाड़ा न कर संयुक्त हिस्सा रख देना सभी खातेदारों के बंटवाड़े की परिभाषा में नहीं आता है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 क्रेतागण होकर ट्रेस पासर की परिभाषा में आते हैं तथा उनका कभी विवादित भूमि पर कब्जा नहीं रहा तथा वे अन्य गांव के निवासी हैं तथा बंटवाड़ा रिपोर्ट पर भी इन्हीं दोनों के हस्ताक्षर हैं। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये

विभिन्न उजरात पर मनन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में जहां अपीलान्ट यह कहता है कि उन्हें उक्त विभाजन के समय सूचना नहीं दी गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड से पूरी तरह से पृथक है। अपीलान्ट संख्या 1 मांगिया, अपीलान्ट संख्या 2 जालमा तथा अपीलान्ट संख्या 3 श्रीमती मांगीबाई को विभाजन प्रस्ताव को तैयार किये जाने के लिए सूचित किये जाने के नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध हैं, जिससे सुस्पष्ट होता है कि अपीलान्टगण स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं तथा उन्होंने गलत तथ्य अंकित किये हैं, जबकि उन्हें विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने की सूचना उपलब्ध थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाये गये हैं, उसमें हिस्से अनुसार किसी प्रकार की विसंगति नहीं है तथा विभाजन प्रस्ताव हस्ब हिस्सा किया जाना प्रकट होता है। साथ ही यह भी प्रकट होता है कि अपीलान्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में यह उजर लिया है कि सम्पूर्ण भूमि पर उन्हीं का कब्जा है, तद्नुसार ही उनके द्वारा अंतिम डिक्री के समय आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय की प्रारम्भिक डिक्री की अपील इस न्यायालय में लम्बित नहीं है तथा क्रेता रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण को उनके क्रय अनुसार प्रारम्भिक डिक्री की पालना में जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–09–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14–02–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

मांगीया पिता सेरिया जी भील, नि0 मोहनपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **यशवन्त पिता रतनलाल जी भील निवासी आयड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**127 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....27**.....माह.....**09**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**14**....माह.....**02**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री भीमराज पटेल** .....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री हनुमान शर्मा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–09–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**14**.....माह.....**02**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।